## **To Change Nomenclature of Pharmacist**

- **343. SHRI NEERAJ SHARMA, M.L.A.:** Will the Health Minister be pleased to State:
  - a) Whether it is a fact that the nomenclature of the post of pharmacist has been changed by the Government as Pharmacy Officer in the State; and
  - b) Whether it is also a fact the orders of the Government for change in nomenclature has not been implemented in ESI Hospitals and dispensaries in the State; if so, the reasons thereof?

## Anil Vij, Health Minister,

- a) Yes, Sir. The nomenclature of the post of pharmacist has been changed by the Government as Pharmacy Officer in Health Department only.
- b) No, Sir. Because ESI Hospitals and Dispensaries are under the labour Department.

## फार्मासिस्ट के नामाकरण को बदलना

- श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए.: क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:— क्या यह तथ्य है कि राज्य में सरकार द्वारा फार्मासिस्ट के पद का नामकरण बदल कर फार्मेसी अधिकारी कर दिया गया है; तथा
- क्या यह तथ्य है कि राज्य में ई.एस.आई अस्पतालों तथा औषधालयों में नामकरण में बदलाव के लिए सरकार के आदेशों को लागू नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हे?

## अनील विज, स्वास्थ्य मंत्री,

- (क) हां. श्रीमान जी। सरकार द्वारा केवल स्वारथ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्ट के पद का नामकरण बदल कर फार्मेसी अधिकारी किया गया है।
- (ख) नहीं, श्रीमान जी। क्योंकि ई.एस.आई अस्पताल तथा औषधालय श्रम विभाग के अधीन है।